वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक,
बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, चम्पारण,बेतिया।

विज्ञापन संख्या –01 / 2017–18

जी0 आई0 वायर (G.I. Wire) एवं जीओ बैग (Geo-bag) के कय हेतु निविदा आंमंत्रण सूचना

वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि ब्याघ्र आरक्ष, प0चम्पारण, बेतिया के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वन प्रमण्डलों में वर्ष 2017–18 में कियान्वित की जाने वाली योजनाओं में उपयोगार्थ निम्नांकित सामग्रियों की आपूर्त्ति के लिये दर प्रा. करने हेतु अधिकृत निबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद निविदा दिनांक 18.05.2017 के अपराहन 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 18.05.2017 को अपराह्न 3.00 बजे निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदाताओं द्वारा सभी कर के साथ, मंगुराहा, गोर्बधना, रघिया (डुमरी), वाल्मीकिनगर, गनौली, मदनपुर, हरनाटॉड़ एवं चिउटाहा प्रक्षेत्र कार्यालय तक सामग्री पहुँचाकर जी.आई.वायर के लिये प्रति मेट्रिक टन एवं जियो बैग के लिये प्रति बैग दर् अंकित करना होगा। आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की विवरणी निम्नवत् है:–

कमांक	सामग्री का विवरण
1	3mm G.I.Wire(10SWG)
2	Geo-bag (1m x 0.7m)

निविदा की शर्तें निम्नवत् होंगी:–

1. निविदादाता को निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग (वैट), आयकर विभाग से (पैन) निबंधित होने का प्रमाण (स्व0 अभिप्रमाणित प्रति) संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ प्रतिष्ठान का पूर्ण पता संबंधित अभिलेख के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को सामग्रियों के Specification के साथ दर अंकित करना होगा।
4. निविदादाताओं को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 25,000.00 (पचीस हजार) रू0 की राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक, बाल्मीकि व्याध्र आरक्ष, प0 चम्पारण, बेतिया" के पदनाम से देय होगा जो बेतिया स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
5. सफल निविदाता को आपूर्ति आदेश के 2(दो) सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदादाताओं के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

8. किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

9. सफल निविदादाता को संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना होगा।

10. आपूर्त्ति की जाने वाली समाग्री उच्चतम गुणवत्ता की होनी चाहिए।

11. पूर्व में सरकारी कार्य विभागों को आपूर्त्ति किये जाने के प्रमाण के स्वरूप आपूर्त्ति आदेश की प्रति निविदा के समय समर्पित करेंगें।

12. विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा बाल्मीकि व्याध्र परियोजना के बेवसाईट WWW.valmikitigerreserve.com / www.forest.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

22/4/17

वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक,
बाल्मीकि व्याध्र आरक्ष,
प0 चम्पारण, बेतिया।